

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 074649

(असम-ब)
प्रदेश में स्थित सोसाइटी/ट्रस्ट जिसके द्वारा किलोमीटर वर्गीय शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं अथवा सत्र 2023-24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाला नोटरी सपथ-पत्र का प्रारूप :-

1. हम श्रीमती मुन्नापाल एवं श्री धरमपाल इन्द्रा अग्रवाल एवं सचिव मुन्नापाल कीलारी देवी एडुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, ग्राम कोदवट पोस्ट गायघाट तहसील धनघटा जिला सन्तकबीर नगर हाथगापूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निम्न शिक्षण संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है।
3. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम निम्न विवरण के अनुसार भूमि उपलब्ध है-

क्रम संख्या	पता	प्लॉट संख्या	भूमि का रकबा	भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5
1	ग्राम कोदवट पोस्ट गायघाट तहसील धनघटा जिला सन्तकबीर नगर	402 387	0.8174	0.8174

यह कि उपरोक्त अनेक शिक्षण संस्थाओं निम्न विवरण के अनुसार हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा भूमि आवंटित की गयी है-

क्रम संख्या	संस्था का नाम	आवंटित भूमि का भवन	पता	प्लॉट संख्या	रकबा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6	7
1	मुन्नापाल कीलारी देवी एडुकेशनल आर्ट्स फार्मसी	निर्मित	ग्राम कोदवट पोस्ट गायघाट तहसील धनघटा जिला सन्तकबीर नगर	402 387	0.8174	0.8174

हम, अपने हस्ताक्षरों के द्वारा, सत्र 2023-24 से संचालित किये जाने का प्रस्ताव है के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सपथ-पत्र का प्रारूप :-

(Handwritten Signature)

5. यह कि, उपरोक्त विधि संबंधित शिक्षण के संयोजन के प्रारंभ के समय की है, एवं इसमें कालान्तर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
6. यह कि, उपरोक्त विवरण में निम्नवत् बदलाव किया गया है, और आज की तिथि का विवरण निम्नवत् है-

क्रम संख्या	संख्या का नाम	पता	भूमि का विवरण		
			गाटा संख्या	कुल एकरा	कुल भूमि हेक्टेयर में
1	2	3	4	5	6
NA	NA	NA	NA	NA	NA

6. यह कि, परिषद में यदि हमारी सीमाइटी/ट्रस्ट द्वारा कोई भूमि खप की जाती है तो उसका विवरण विरुद्ध कार्यपाल में प्रस्तुत किया जाएगा।

7. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज गलत, कूटप्रतिष्ठ अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निम्नानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी कौनसी कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होंगा।

हस्ताक्षर
श्री. मनीष कुमार शर्मा

हस्ताक्षर
श्री. मनीष कुमार शर्मा